न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.लाभूराम पुत्र कुशलाराम
2.भीखाराम पुत्र कुशलाराम
3.विरधाराम पुत्र कुशलाराम
4.तामलराम पुत्र कुशलाराम
5.आसूराम पुत्र कुशलाराम
6.अरजनराम पुत्र कुशलाराम
7.जगदीशराम पुत्र कुशलाराम
8.नारायणराम पुत्र कुशलाराम
9.श्रीमती अमरी पत्नी कुशलाराम जाति मेघववाल निवासी ग्राम सीतोडाई तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 87/2011 बनवान लाभुराम वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03. 2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री एम.आर.बारूपाल रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सीतोडाई के खसरा संख्या 119 रकबा 29.00 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त फाइनल सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकार्ड में वादी के पिता के नाम से चली आ रही भूमि खसरा संख्या 635 में रकबा 29.00 बीघा में दर्ज की गई परन्तु वक्त सेटलमेंट भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि से वादीगण/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की कब्जा व खातेदारी खसरा संख्या 119 को रकबा सिवायचक दर्ज कर दिया गया हैं। अपीलाधीन आराजी पर काबिज है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का अधिकार नही था। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2014-15(Supp.) Page 553

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सीतोडाई के समरी खसरा संख्या 535 में से 29.00 बीघा रेस्पोडेंट के पिता कूशलाराम पुत्र प्रागाराम को उसके आवेदन (प्रदर्श–1) पर वर्ष 1978 में अन्त्योदय योजना के तहत आवंटन जरिये आवंटन आदेश 436 से 438 (प्रदर्श–2) दिनांक 15.06.1978 हुआ और 29.06.1978 को कब्जा (प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4) दिया गया। कुशलाराम की मृत्यु दिनांक 16.08.2010 को हो चुकी है। उसके वारिसानों ने अधीनस्थ न्यायालय मे इस पर <u>खातेदारी घोषणा बाबत सीतोडाई के वर्तमान खसरा संख्या 119 रकबा 70.12 बीघा सिवायचक भूमि (प्रदर्श–5) में से 29 बीघा (प्रदर्श–6) आवंटन के वक्त का कब्जा सुपुर्दगी ट्रेस (प्रदर्श–4) तथा वर्तमान ट्रेस (प्रदर्श–6) समरूप हैं जो यह साबित करते है कि वादीगण/रेस्पोडेंट उसी जगह काबिज है जहां कब्जा सुपुर्द किया गया था</u> परन्तु वर्तमान बंदोबस्त में उसका इन्द्राज नहीं किया जाने से ग्राम सीतोडाई के खसरा संख्या भिन्न है। दावाकृत भूमि खेत खसरा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 119 रकबा 70.12 बीघा पर खसरा परिवर्तशील संवत 2067 व 2068 (प्रदर्श–7 व 8) मुताबिक वादी संख्या 8 का क्रमशः 10 व 8 बीघा पर कब्जा काश्त प्रमाणित है। सरकारी गवाह पटवारी कूंपाराम के बयान मुताबिक संवत 2070 में भी कब्जा काश्त वादीगण का इसी भूमि पर; इसी तरह इस खसरा परिवर्तशील संवत 2065 मुताबिक 10 बीघा भूमि पर आवंटी कुशलाराम का कब्जा काश्त साबित है। इसी प्रकार इसी खसरे में 11बीघा भूमि पर संवत 2062 में कब्जा काश्त है। यही नहीं आवंटी के पिता प्रागा का भी ग्राम सीतोडोई के सरकारी खसरों पर अतिक्रमण से 40 बीघा पर कब्जा काश्त रही है। आवंटन आदेश की पालना में नामांतकरण खोला जाकर गैर खातेदारी का अमल दरामद नहीं हुआ। इसमें अपीलांट की कोई चूक नहीं है। उसे आवंटन निरस्त बाबत भी कोई सूचना नहीं दी गई। आंवटन आदेश निरस्त होने के संबंध में कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है लिहाजा आवंटन आज भी प्रभावी है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 87/2011 बनवान लाभुराम वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

18/7/19

(नखतराम बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner